

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 71/2022

ताराचन्द पुत्र कैलाश जाति ब्रह्ममण, निवासी वार्ड न 10 मलसीसर तहसील
मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—रेस्पोंडेन्ट—

अपील अ. धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ निर्णय
दिनांक 24.10.2017 न्यायालय तहसीलदार, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं
प्रकरण संख्या 66/2015 व नायब तहसीलदार के मुकदमा संख्या 27/2017
उनवानी सरकार बनाम ताराचन्द

उपस्थिति:-

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक : 31.12.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी को ग्राम मलसीसर की भूमि ख.न. 958/1137 में अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया है। हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जिस जगह बाबत रिपोर्ट की है वहां अपीलार्थी की पट्टे शुदा भूमि है उसके पास ही सार्वजनिक प्याऊ स्थित है उसके पास छान डालकर छाया बना रखी है जिसके बाबत हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट की है अपीलान्ट्स की अपील में मैरिट है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबुझकर नहीं रही है। दिनांक 03.09.2015 को अपीलार्थी माननीय अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। दिनांक 03.09.2015 से लेकर दिनांक 28.03.2017 तक पत्रावली में अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज है। दिनांक 28.03.2017 को तहसीलदार महोदय ने जाहिर किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी तब अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा दिनांक 16.05.2017 को आदेशिका में अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर रखी है। अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनूं

लाई गई। दिनांक 24.10.2017 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करके निर्णय पारित कर दिया जबकि पत्रावली में कभी भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में जबाब देही व साक्ष्य का प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त निर्णय में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। अदालत मातहत के समक्ष अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है इसलिये उक्त निर्णय काबिले निरस्त है। उक्त निर्णय दिनांक 24.10.2017 को पारित किया गया था तथा उक्त निर्णय की अपीलार्थी को पूर्व में जानकारी नहीं थी क्योंकि दिनांक 28.03.2017 को तहसीलदार महोदय ने कहा कि आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी। अदालत मातहत ने दिनांक 24.10.2017 को अपीलार्थी के विरुद्ध निर्णय कर दिया। उक्त गलत किये गये निर्णय की जानकारी दिनांक 23.08.2022 को अपीलार्थी को हुई तब अपीलार्थी ने उक्त निर्णय की नकल ली। जानकारी व नकल लेने से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अपील अन्दर मियाद नहीं मानी जाती है तो दफा 5 मियाद अधिनियम का पार्थना पत्र साथ पेश किया जा रहा है। अपील को अन्दर मियाद मानी जावे क्योंकि अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 को निरस्त किया जाये।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त अपीलार्थी को ग्राम मलसीसर की भूमि ख.न. 958/1137 में अतिक्रमण बाबत नोटिस दिया है। हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जिस जगह बाबत रिपोर्ट की है वहां अपीलार्थी की पट्टे शुदा भूमि है उसके पास ही सार्वजनिक प्याऊ स्थित है उसके पास छान डालकर छाया बना रखी है जिसके बाबत हल्का पटवारी ने गलत तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट की है अपीलान्त की अपील में मैरिट है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबुझकर नहीं रही है। दिनांक 03.09.2015 को अपीलार्थी माननीय अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित हुआ। दिनांक 03.09.2015 से लेकर दिनांक 28.03.2017 तक पत्रावली में अपीलार्थी की उपस्थिति दर्ज है। दिनांक 28.03.2017 को तहसीलदार महोदय ने जाहिर किया कि आपको आने की जरूरत नहीं है आपके खिलाफ कार्यवाही ड्रॉप कर दी जावेगी तब अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ तथा दिनांक 16.05.2017 को आदेशिका में अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज कर रखी है। अपीलार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 24.10.2017 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति दर्ज करके निर्णय पारित कर दिया जबकि पत्रावली में कभी भी एक पक्षीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में जबाब देही व साक्ष्य का प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। उक्त निर्णय में न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त की पालना नहीं की गई। अदालत मातहत के समक्ष अपीलार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। अपीलार्थी का प्रकरण अतिक्रमी की तारीफ में नहीं आता है इसलिये उक्त निर्णय काबिले निरस्त है।

अति. जिला कलेक्टर
पंजाब

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.10.2017 को अपास्त किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्त की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित भूमि राजकीय है जिसकी किस्म गैर मुमकिन बजड़ है तथा अदालत मातहत ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत कार्यवाही की है। अपीलांट द्वारा न तो अदालत मातहत तथा न ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रकरण में विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैध साबित होता हो।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलोक में अपील अपीलान्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.10.2017 मुकदमा संख्या 66/2015, व नायब तहसीलदार 27/2017 उनवानी सरकार बनाम ताराचन्द अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार मलसीसर को प्रेषित हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ला दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(अजय कुमार अग्र),
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
झुन्डुनूं